न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)
पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्र सिंह यादव (आर.ए.एस.)

दावा पत्र संख्या
419/2022

रजू दिनांक
18.10.2022

निर्णय दिनांक
05-12-24

उनवान

1. बिशम्भर पुत्र श्री ओमकार जाति चमार निवासी ग्राम डाबडवास तह०नीमराना।

वादी।

बनाम

1. शुभराम पुत्र ओंकार जाति चमार निवासी ग्राम डाबडवास तह0नीमराना।
2. शीशराम पुत्र ओमकार जाति चमार निवासी ग्राम डाबडवास तह०नीमराना।
3. सुभाष पुत्र ओमकार जाति चमार निवासी ग्राम डाबडवास तह०नीमराना।
4. बिल्लू पुत्र ओमकार जाति चमार निवासी ग्राम डाबडवास तह०नीमराना।
5. रघुबीर उर्फ रगबीर पुत्र गणपत जाति चमार निवासी ग्राम डाबडवास तह०नीमराना।
6. सरवन देवी पत्नी शेरसिंह जाति खटीक निवासी ग्राम नीमराना तह० नीमराना।
7. बनवारी पुत्र जयदयाल जाति खटीक निवासी ग्राम नीमराना मृतक।
   7/1 मूर्ति देवी पत्नी बनवारी लाल जाति खटीक निवासी नीमराना।
   7/2 सचिन।
   7/3 तुलाराम पुत्रान बनवारी लाल जाति खटीक निवासी नीमराना।
   7/4 निशा।
   7/5 ज्योति पुत्रियान बनवारी लाल जाति खटीक निवासी नीमराना।
8. उप पंजीयक मांढण।
9. तहसीलदार नीमराना।
10. अशोक कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप जाति मेघवाल निवासी डाबडवास तह0 मांढण।

प्रतिवादीगण।

दावा इस्तकरार हक, तकसीम आराजी एवं हु.इ.दवामी।
अंतर्गत धारा 88,89,53,188 व 189 आर0टी0एक्ट0।

उपस्थिति – 1. श्री विनोद कुमार एड0 वादी की ओर से।
2. श्री प्राणसुख सैनी एवं श्री विजय कुमार चौहान प्रतिवादीगण की ओर से।

–::निर्णय::–

दिनांक :– 05-12-24

पत्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है–

1. वादीगण ने वाद पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर हाल 727 रकबा 0.82 है0,745 रकबा 0.16 है0, 1076/1230 रकबा 0.31 है0, 784 रकबा 0.23 है0, 785 रकबा 0.27 है0, 786 रकबा 0.08 है0, 787 रकबा 0.59 है० वाके ग्राम डाबडवास तह० नीमराना जिला अलवर राज० मे स्थित है। जिस आराजी को दावा मे आगे चलकर आराजी मुतनाजा से सम्बोधित किया जावेगा। दावा के साथ संलग्न जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 के मुताबिक आराजी खसरा नम्बर 727 वाके ग्राम डाबडवास मिन वादी व प्रतिवादी सं० 1 लगा. 4 प्रत्येक हिस्सा–1/10 के खातेदार है तथा प्रतिवादी सं० 5 हिस्सा–4/15 का व प्रतिवादी सं० 6 हिस्सा–1/6 की व प्रतिवादी सं० 7 हिस्सा–1/15 का खातेदार है। इसी अनुसार खसरा नम्बर 745 वाके ग्राम डवडवास के मिन वादी व प्रतिवादी सं० 1 लगा. 4 प्रत्येक हिस्सा–1/10 के खातेदार है तथा प्रतिवादी सं० 6 हिस्सा–1/6 की व प्रतिवादी सं० 7 हिस्सा–1/3 का खातेदार है। इसी अनुसार खसरा नम्बर 1076/1230, 784, 785, 786, 787 वाके ग्राम डवडवास के मिन वादी व प्रतिवादी सं० 1 लगा. 4 प्रत्येक हिस्सा–1/10 के खातेदार है तथा प्रतिवादी सं० 5 हिस्सा–1/3 का व प्रतिवादी सं० 6 हिस्सा–1/3 का खातेदार है।
2. आराजी मुतनाजा मिन वादी व प्रतिवादी स० 1 लगा० 7 के बीच बिना बटी हुई सहखातेदारी की आराजी है। इसलिए आराजी मुतनाजा के प्रत्येक इंच इंच पर हर खातेदार के हक व

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

अधिकार निहित हैं किसी भी खातेदार को आराजी मुतनाजा का बिना विधिवत रूप से तकासामा करवाये किसी विशेष खसरा नम्बर व विशेष भू–भाग को अपना बताकर दिगर जगह मुन्तकिल करने या उस पर कब्जा कर किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण करने का कोई कानूनी हक व अधिकार नही है। लेकिन फिर भी प्रतिवादीगण आपस मे साज वाज होकर आराजी मुतनाजा का बिना विधिवत रूप से तकासामा करवाये ही अच्छी से अच्छी आराजी जो रोड व रास्ता से लगती हुई है व अच्छी पैदावार व अधिक कीमत की है, पर जबरन कब्जा कर उसे अपनी बताकर दिगर जगह मुन्तकिल करना चाहते है तथा मिन वादी को मेरे हिस्से की भूमि पर काश्त करने मे भी हर समय व्यवधान डालते है। जिसके लिए मिन वादी द्वारा प्रतिवादीगण को काफी समझा लिया है एवं कई बार निवेदन किया जा चुका है कि अगर आप आराजी मुतनाजा मे अपने खातेदारी हिस्से का बेचान करना चाहते है तो पहले आराजी मुतनाजा का विधिवत रूप से तकासामा करवाले उसके बाद आपके हिस्से मे जो भूमि आवे उसका अपनी मर्जी के मुताबिक बेचान करो या उस पर किसी प्रकार से निर्माण आदि करो जिसमे किसी को कोई आपत्ति नही होगी। लेकिन प्रतिवादीगण नही मान रहे है और प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 14.10.2022 को आपस मे साज बाज होकर धमकी दी है कि हम आराजी मुतनाजा का किसी प्रकार से भी विभाजन नही करवायेगें हमारी मर्जी मे होगी उस भूमि को अपनी बताकर उसका दिगर जगह बेचान करेगें तथा मिन वादी को मेरे हिस्से की भूमि पर से जबरन बेदखल कर उसे अपनी बताकर दिगर जगह मुन्तकिल करने की धमकी दी है। इसलिए अब आराजी मुतनाजा सामूहिक रूप से काश्त किया जाना सम्भव नहीं होने के कारण मिन वादी द्वारा यह दावा इस्तकरार हक व तकसीम आराजी का पेश करना आवश्यक हुआ है।

3. आराजी मुतनाज मे मिन वादी वाद पत्र के चरण सं० 3 मे अंकितानुसार हिस्सा–1/10 का खातेदार काश्तकार काबिज हूँ और मौके पर अपने खातेदारी हिस्से की भूमि पर काबिज रहकर काश्त कर रहा हूँ। लेकिन आराजी मुतनाजा सहखातेदारी मे दर्ज होने के कारण प्रतिवादीगण मिन वादी को मेरे हिस्से की भूमि पर काश्त करने मे व्यवधान डालते है एवं अच्छी से अच्छी आराजी को अपनी बताकर दिगर जगह मुन्तकिल करना चाहते है। इसलिए मिन वादी आराजी मुतनाजा मे अपने खातेदारी हिस्से का अलग से तकासामा करवाकर अलग खाताबन्दी करवाने का अधिकारी है। ऐसी सूरत मे आराजी खसरा नम्बर हाल 727 रकबा 0.82 है0,745 रकबा 0.16 है0, 1076/1230 रकबा 0.31 है0, 784 रकबा 0.23 है0, 785 रकबा 0.27 है0, 786 रकबा 0.08 है०, 787 रकबा 0.59 है० वाके ग्राम डाबडवास तह० नीमराना जिला अलवर राज० पर कुर्रे कायम किये जाकर तहसीलदार नीमराना से अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी के हिसाब से कुर्रे रिपोर्ट मंगवाई जाकर कुर्रे रिपोर्ट के आधार पर आराजी मुतनाजा की जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 के मुताबिक मिन वादी व प्रतिवादी सं० 1 लगा. 7 के खातेदारी हिस्से की भूमि का अलग–अलग तकासमा किया जाकर उसी अनुसार खातेदार घोषित किये जावे तथा इसी अनुसार अलग–अलग खाताबन्दी की जाकर हाल जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे अंकन करने तथा राजस्व नक्शा मे तितम्बा काटने का आदेश फरमाया जाना न्याय संगत है।

4. प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा का बिना विधिवत रूप से तकासामा करवाये ही अच्छी से अच्छी आराजी पर जबरन कब्जा कर व उसको अपनी बताकर बाला बाला दिगर जगह मुन्तकिल करने की फिराक मे है व मिन वादी को मेरे हिस्से की भूमि पर से जबरन बेदखल कर उस पर जबरन कब्जा करने की धमकी देते है। अगर प्रतिवादीगण अपने इस कुण्ठित इरादे में कामयाब हो गये तो मिन वादी को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी व बहुवादिता बढेगी ऐसी सूरत मे प्रतिवादीगण को इस आशय की हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जावे कि वो जब तक आराजी खसरा नम्बर हाल 727 रकबा 0.82 है0,745 रकबा 0.16 है0, 1076/1230 रकबा 0.31 है0, 784 रकबा 0.23 है0, 785 रकबा 0.27 है0, 786 रकबा 0.08 है0, 787 रकबा 0.59 है० वाके ग्राम डाबडवास तह० नीमराना जिला अलवर राज० का कुर्रे रिपोर्ट के आधार पर अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी आराजी के हिसाब से विधिवत रूप से तकासमा होकर उसके मुताबिक राजस्व रिकार्ड मे अलग–अलग खाताबन्दी नही हो जावे तब तक आराजी मुतनाजा के किसी भी भाग व खसरा नम्बर को अपना बताकर दिगर जगह रहन बय हिबा व अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही करे ना ही किसी भाग पर जबरन कब्जा कर किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नही करे व ना ही मिन वादी को आराजी मुतनाजा मे मेरे हिस्से पर फसल बोने काटने व हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने मे किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नही करे तथा आराजी मुतनाजा की बाबत हर मुन्तकिली दस्तावेजात को तस्दीक व पंजीबद्ध उप पंजीयक मांढण करता है इसलिए उप पंजीयक

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

मांढण को पाबन्द किया जावे कि उनके समक्ष आराजी मुतनाजा की बाबत प्रतिवादीगण द्वारा कोई भी मुन्तकिली दस्तावेज पेश करने पर उनको तस्दीक व पंजीबद्ध नही करे रिकार्ड की यथास्थिती बनाई रखे। बाज आवे ।

5. उक्त अनुवानी वाद पत्र मे उप पंजीयक मांढण एवं तहसीलदार नीमराना को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है जिन्हे कानूनी तोर पर 80 सीपीसी का नोटिस दिया जा चुका है लेकिन नोटिस की मियाद पुरी होने तक वो आराजी मुतनाजा की बाबत मुन्तकिली दस्तावेजात को तस्दीक व पंजीबद्ध कर देगे जिससे मिन वादी के वाद पत्र का कोई ओचित्य नही रहेगा ऐसी सूरत मे दावा मे नोटिस 80 सीपीसी के समय की मियाद का मुजरा दिया जाकर सुनवाई किया जाना न्याय संगत है।

6. दावा हाजा के लिए विनाय दावी व विनाय मुखास्मत दिनांक 15.10.2022 को पैदा हुई है जिससे दावा अन्दर मियाद पेश किया जा रहा है। आराजी मुतनाजा ग्राम डाबडवास तह० नीमराना मे स्थित है जो न्यायालय श्रीमान् के क्षेत्र मे आती है इसलिए दावा श्रवण करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान् को है।

7. अंत मे वादीगण ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किए जाने की प्रार्थना कि है –

(क) डिक्री तकसीम आराजी इस अमर की फरमाई जावे कि आ.ख.नं. हाल 727/0. 82,745/0.16,1076/1230/0.31,784/0.23.785/0.27,786/0.08,787/0.59 बाके ग्राम डाबडवास तह० नीमराना पर कुर्रे कायम किये जाकर तहसीलदार नीमराना से अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी भूमि के मौके पर कुर्रे कायम कराये जा कर कुर्रे कायमी रिपोर्ट ली जाकर अलग अलग खातावंदी कराई जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अलग अलग खाते कायम करवाये जावे।

(ख) प्रतिवादीगण को जरिए हुक्म ईम्तनाइ दवामी पाबन्द किया जावे कि वे विवादित आराजी का जब तक विधिवत रूप से तकासमा ना हो जावे तब तक मौके व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाए रखे।

(ग) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण दिलाया जावे।

(घ) अन्य अनुतोष जो बय नजदीक अदालत श्रीमान हो अता फरमाया जावे ।

8. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वाद तामिल प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायात 4 ने जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि जिमन नम्बर 3 वाद पत्र आराजी मुतनाजा मे पक्षकारान के खातेदारी हिस्से की बाबत है। सही है स्वीकार है। जिमन नम्बर 4 वाद पत्र जिस प्रकार से दर्ज किया गया है गलत है स्वीकार नही है। हम प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा का कुर्रे रिपोर्ट के आधार पर तकासामा करवाने के लिए पहले भी तैयार थे आज भी तैयार है। लेकिन वादी जानबुझकर आंराजी मुतनाजा को विवादित करने के लिए बिना किसी वाद कारण के यह दावा पेश किया है। जिमन नम्बर 5 वाद पत्र जिस प्रकार दर्ज किया गया है गलत है स्वीकार नहीं है आराजी मुतनाजा का मौके पर बाहमी बंटवारा किया हुआ है जिसके मुताबिक सभी खातेदार अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज है तथा ब्राहामी बंटवारा के मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट मंगवाई जाकर आराजी मुतनाजा का विधिवत रूप से तकासामा कर दिया जावे। जिसके लिए हम प्रतिवादीगण पूर्ण रूप से सहमत है।

9. जिमन नम्बर 6 वाद पत्र गलत है स्वीकार नहीं है। वादी बाहमी बंटवारा के मुताबिक अपने हिस्से पर काविज है। वादी को उसके हिस्से पर काबिज रहने मे किसी प्रकार की दिक्कत बाजी नही है। लेकिन वादी द्वारा मनमानी कहानी तैयार कर यह दावा कतई गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया गया है। हम प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा के रिकार्डेड खातेदार है इसलिए हम प्रतिवादीगंण को वादी, हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबन्द करवाने का अधिकारी नही है ना ही किसी रिकार्डेड खातेदार को उसके खातेदारी अधिकारो से पाबन्द किया जाने का कोई कानूनी प्रावधान ही है। जिमन नम्बर 8 वाद पत्र गलत है स्वीकार नही है दावा विना काज आफैं एक्सन के मियाद बाहर पेश किया गया है जो चलने योग्य नही है। जिमन नम्बर 10 वाद पत्र रिलीफ की बाबत है दावा मे वादी द्वारा चाही गई रिलीफ मनमानी है। लेकिन रिलीफ स० क के अनुसार दावा मे वर्णित आराजी के मौके पर बाहमी बंटवारा के

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट मंगवाई जाकर, आराजी मुतनाजा का विधिवत रूप से तकासामा किया जावे तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है। शेष उप जिमन ख, ग, घ गलत है स्वीकार नही है।

10. अतः श्रीमान् के समक्ष जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद आराजी मुतनाजा पर कुर्रे कायम किया जाने बाबत प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर, कुर्रे रिपोर्ट के आधार पर आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जाने मे हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है। आपकी अति कृपा होगी ।

11. जवाब प्रस्तुत होने के पश्चात् उभय पक्ष को सुना जाकर उक्त वाद दिनांक 26.03.2024 को प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार को आदेश दिए गए कि पक्षकारान की उपस्थिति में कब्जे काश्त अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में बुरी भूमि के मौके पर कुर्रे कायम किए जाकर कुर्रे कायमी रिपोर्ट भिजवाई जावे। तहसीलदार मांढण के द्वारा कुर्रे कायम किए जाकर अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2024/1376 दिनांक 30.04.2024 के द्वारा कुर्रे कायमी रिपोर्ट न्यायालय हाजा में भिजवाई गई। जो शामिल पत्रावली की गई।

12. कुर्रे कायमी रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 12.06.2024 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 प्रतिवादी संख्या 5 रघुवीर द्वारा पेश कर निवेदन किया कि आराजी विवादित में जो मेरा हिस्सा था वह सम्पूर्ण हिस्सा मेरे द्वारा जरिये रजि0 बयनामा दिनांक 23.09.2023 को अशोक कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप को विक्रय कर दिया है। कुर्रे कायमी रिपोर्ट में मेरे हिस्से में आई आराजी बाद बेचान भी मेंरे ही नाम ही दर्ज की गई है जबकि मेरा अब उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार नही है। मेरी जगह क्रेता अशोक कुमार पुत्र रामस्वरूप को ही खातेदार दर्ज किया जावें।

13. दिनांक 20.11.2024 को कुर्रे कायमी रिपोर्ट पर वादी बिशम्बर द्वारा एक आपत्ति इस अमर की पेश की गई की मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट रगबीर के हिस्से के खरीददार अशोक पुत्र रामस्वरूप के नाम का कुर्रे कायमी रिपोर्ट दिनांक 16.04.2024 में अंकन नही है इसलिए इस कुर्रे कायमी रिपोर्ट को निरस्त की जाकर पुनः कुर्रे कायमी रिपोर्ट मंगवाई जावें।

14. प्रार्थना पत्र धारा 151 जा0दी0 जो प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा पेश किया गया एवं वादी विशम्बर द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर कुर्रे कायमी रिपोर्ट के सन्दर्भ में उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 5 रघुवीर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 न्यायहित में स्वीकार किया जाता है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 5 रघुवीर ने अपने प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है कि मेरे द्वारा मेंरे हिस्से का बेचान प्रतिवादी संख्या 10 अशोक कुमार को कर दिया गया है परन्तु कुर्रे कायमी रिपोर्ट में मेरे नाम ही खातेदारी दर्ज है। मेरे नाम दर्ज खातेदारी को प्रतिवादी संख्या 10 अशोक कुमार की खातेदारी में दर्ज किया जावें।

15. वादी बिशम्भर द्वारा प्रस्तुत आपत्ति में अंकित किया गया है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक जो कुर्रे रिपोर्ट पेश की गई है वह गलत पेश कि गई है खसरा नं. 727 के 82 ऐयर भूमि पर शुभराम, शिशराम, सुभाष व बिल्लू काबिज है मौके पर उक्त आराजी के किसी भी भाग पर बिशम्भर का कब्जा नहीं है इसी प्रकार खसरा नं. 745 के 16 ऐयर भूमि पर बिल्लू, शुभराम शिशराम व सुभाष काबिज है बिशम्भर का उक्त खसरा नं. के किसी भी भाग पर कब्जा नहीं है। बादी बिशम्भर खसरा नं. 787 में 27.70 एयर पर काबिज है रघुवीर ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा अशोक कुमार पुत्र रामस्वरूप को जरिये रजिस्ट्रड बयनामा के दौराने दावा दिनांक 21.09.2023 को बेचान कर दिया है लेकिन अशोक कुमार का नाम कुर्रे रिपोर्ट में अंकित ही नहीं किया गया है रघुवीर ने दौराने दावा अशोक कुमार को अपने हिस्से की भूमि का बेचान किया है इसलिए कुर्रे रिपोर्ट में अशोक कुमार किस खसरा नं. पर काबिज है रिपोर्ट में अंकित नहीं है दौराने दावा व दौराने स्टे बेचान किया गया है इसलिए प्रतिवादी रघुवीर ने कानून का उल्लंघन किया है शुभराम, शिशराम, सुभाष व बिल्लू ने भी प्रारम्भिक डिक्री जारी होने से पूर्व ही अपने हिस्से को जरिये इकरारनामा प्रोपर्टी डिलरो को बचान कर दिया है उनके हिस्से पर प्रोपर्टी डिलरो का ही कब्जा है प्रोपर्टी डिलरो ने पटवारी हल्का से मिलकर मनमर्जी के मुताबिक गलत कुर्रे रिपोर्ट तैयार की है कुर्रे रिपोर्ट पर किसी भी पक्षकार के कोई हस्ताक्षर नहीं है।

16. अतः श्रीमान के समक्ष कुर्रे रिपोर्ट दि० 16–04–24 के सम्बंध में आपत्ति पेश कर निवेदन है कि उक्त कुर्रे रिपोर्ट गलत है वादी उक्त कुर्रे रिपोर्ट के मुताबिक विभाजन नहीं चाहता है वादी खसरा नं. 787 के 27.70 ऐयर भूमि पर काबिज है उसी के मुताबिक पुनः कुर्रे रिपोर्ट मंगवाई जाकर फाईनल डिक्री जारी किया जाना आवश्यक है प्रारम्भिक डिक्री में रघुवीर के हिस्से के खरीददार अशोक पुत्र रामस्वरूप को भी पक्षकार नही बनाया गया है ना ही कुर्रे रिपोर्ट में उनका नाम व हिस्सा अंकित किया गया है इसलिए कुर्रे रिपोर्ट दि. 16–4–24 को

अस्वीकार कर पुनः कुर्रे रिपोर्ट मंगवाई जाकर दावे को फैसल किया जाये तथा मैरिट पर दोनो पक्षो की साक्ष्य लेकर तनकी बनाकर दावे का निस्तारण किया जावे।

17. उक्त आपत्ति पर प्रतिवादीगण के अभिभाषकगण ने जवाब पेश न कर सीधे ही बहस की है। हमने अभिभाषकगण की बहस सुनी। वकील वादी द्वारा अपनी बहस में वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्राप्त कुर्रे कायमी रिपोर्ट निरस्त किए जाने का निवेदन किया तथा प्रतिवादीगण के अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि वादी विशम्बर द्वारा जो आपत्ति पेश की गई है वह कतै निराधार है। कुर्रे कायमी रिपोर्ट न्यायालय के आदेशानुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी दी जाकर नियमानुसार तैयार की गई है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 5 रघुवीर को मिलने वाली भूमि के सन्दर्भ में आपत्ति की है जबकि रघुवीर स्वयं ने स्वीकार किया है कि कुर्रे कायमी जो आराजी मुझे दी गई है वह अशोक कुमार क्रेता प्रतिवादी संख्या 10 को दी जावे। क्रेता व विक्रेता को काई आपत्ति नही है। वादी विशम्बर द्वारा स्वयं के हिस्से में आई भूमि के सन्दर्भ में कोई आपत्ति पेश नही की है बल्कि अन्य सहखातेदारान के हिस्से में आई भूमि के सन्दर्भ में गलत तथ्य अंकित करते हुये आपत्ति पेश की है वादी की आपत्ति खारीज की जाकर कुर्रे कायमी रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जावें।

18. हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति में स्वयं ने अंकित किया है कि दौराने दावा प्रतिवादी श्री रगबीर ने विवादित आराजी में अपने सम्पूर्ण हिस्से का बेचान श्री अशोक पुत्र श्री रामस्वरूप को किया गया है। कुर्रे कायमी रिपोर्ट में विक्रेता का ही नाम है, क्रेता का नाम नही है। इस सन्दर्भ में प्रतिवादी संख्या 5 रघुवीर ने प्रार्थना पत्र धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत कर स्वीकार किया है कि कुर्रे कायमी रिपोर्ट में जो भूमि मुझ विक्रेता प्रतिवादी संख्या 5 को दिया जाना अंकित किया है वह भूमि क्रेता अशोक कुमार प्रतिवादी संख्या 10 को दी जावे। यह न्यायिक सिद्धान्त है कि क्रेता/प्रतिवादी संख्या 10 ने जब भूमि विक्रेता प्रतिवादी रगबीर से जरिये रजिस्ट्री बयनामा खरीद की है तो कुर्रे कायमी रिपोर्ट में जो भूमि विक्रेता को दिया जाना अंकित किया है वह भूमि ही क्रेता को दी जावे जिस पर किसी भी प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति नही की गई है इसलिए प्रार्थी वादी द्वारा पेश की गई आपत्ति आधारहीन एवं तथ्यहीन है। क्योंकि प्राप्त कुर्रे कायमी रिपोर्ट न्यायालय हाजा के आदेशानुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी पक्षकारान को दी जाकर कुर्रे कायमी रिपोर्ट तैयार की गई है। उक्त कुर्रे कायमी रिपोर्ट धारा 53 आरटीएक्ट में दिए गए प्रावधानो के अनुसार विधिवत तैयार की गई है। वादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति सारहीन होने के कारण खारीज की जाती है। चूंकि रगबीर पुत्र गणपत द्वारा विवादित आराजी में से अपने हिस्से का बेचान प्रतिवादी संख्या 10 अशोक कुमार पुत्र रामस्वरूप को किया गया है। इसलिए न्यायहित में कुर्रे कायमी रिपोर्ट में जो हिस्सा रगबीर को दिया गया है वह हिस्सा क्रेता अशोक कुमार प्रतिवादी संख्या 10 को दिया जाना उचित प्रतीत होता है। कुर्रे कायमी रिपोर्ट में आंशिक संशोधन करते हुये वाद वादी मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट के अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाना कानून संगत व न्यायोचित प्रतीत होता है।

19. **अतः आदेश है किः—**

वाद वादी बाबत तकासमा आराजी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट डिक्री किया जाता है कि पक्षकारान के नाम के समुंख अंकित आराजी वाके ग्राम डाबडवास तह.मांढण उनके कब्जे काश्त खातेदारी मे निम्नानुसार रहेगी :—

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान
1	विल्लू, शुभराम, शीशराम, सुभाष पि0 ओमकार हिस्सा 4/9 जाति चमार सा. डाबडवास, बनवारीलाल पुत्र जयदयाल हिस्सा 2/27, श्रवण देवी पत्नी शेरसिंह हिस्सा 5/27 जाति खटीक सा. नीमराना राहिन विल्लू पीएनवी गिगलाना, शुभराम बीओबी घीलोठ मुर्तहन	727/1	0.73	बारानी—2	4.10
2	बनवारीलाल पुत्र जयदयाल हिस्सा 10/27 श्रवण देवी पत्नी शेरसिंह हिस्सा 5/27 कौम खटीक सा.	745/1	0.15	बरानी—2	

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

	नीमराना, बिल्लू, शुभराम, शीशराम, सुभाष पि. ओमकार हिस्सा 4/9 जाति चमार सा. देह खातेदार राहिन शुभराम बीओबी घीलोठ				
3	बिल्लू, शुभराम, शीशराम, सुभाष पि. ओमकार हिस्सा 4/9 जाति चमार सा. डाबडवास, अशोक कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति चमार सा. देह हिस्सा 10/27, श्रवण देवी पत्नी शेरसिंह हिस्सा 5/27 जाति खटीक सा. नीमराना खातेदार राहिन बिल्लू पीएनबी गिगलाना, शुभराम बीओबी घीलोठ	1076/1230 784 785 786 787/1	0.31 0.23 0.27 0.08 0.4440	बंजड चाही–3 जाव'–3 चाही–3 गै0मु0 चाह	0.18 0.05
		किता 05	1.3340		
4	बिशम्बर पुत्र ओमकार जाति चमार सा. डाबडवास खातेदार	727/2 745/2 787/2	0.09 0.01 0.1460	बरानी–2 बारानी–2 चाही–3	
		किता 03	0.2460		

उक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर अमलदरामद किए जाने के आदेश दिए जाते है खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगा पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार हो कर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 05-12-24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

महेन्द्र सिंह यादव (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्र सिंह यादव (आर.ए.एस.)

दावा पत्र संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
419/2022	18.10.2022	05-12-24

उनवान

1. बिशम्भर पुत्र श्री ओमकार जाति चमार निवासी ग्राम डाबडवास तह०नीमराना।

वादी।

बनाम

1. शुभराम पुत्र ओंकार जाति चमार निवासी ग्राम डाबडवास तह0नीमराना।
2. शीशराम पुत्र ओमकार जाति चमार निवासी ग्राम डाबडवास तह०नीमराना।
3. सुभाष पुत्र ओमकार जाति चमार निवासी ग्राम डाबडवास तह०नीमराना।
4. बिल्लू पुत्र ओमकार जाति चमार निवासी ग्राम डाबडवास तह०नीमराना।
5. रघुबीर उर्फ रगबीर पुत्र गणपत जाति चमार निवासी ग्राम डाबडवास तह०नीमराना।
6. सरवन देवी पत्नी शेरसिंह जाति खटीक निवासी ग्राम नीमराना तह० नीमराना।
7. बनवारी पुत्र जयदयाल जाति खटीक निवासी ग्राम नीमराना मृतक।

7/1 मूर्ति देवी पत्नी बनवारी लाल जाति खटीक निवासी नीमराना।
7/2 सचिन।
7/3 तुलाराम पुत्रान बनवारी लाल जाति खटीक निवासी नीमराना।
7/4 निशा।
7/5 ज्योति पुत्रियान बनवारी लाल जाति खटीक निवासी नीमराना।

8. उप पंजीयक मांढण।
9. तहसीलदार नीमराना।
10. अशोक कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप जाति मेघवाल निवासी डाबडवास तह0 मांढण।

प्रतिवादीगण।

दावा इस्तकरार हक, तकसीम आराजी एवं हु.इ.दवामी।
अंतर्गत धारा 88,89,53,188 व 189 आर0टी0एक्ट0।

उपस्थिति – 1. श्री विनोद कुमार एड0 वादी की ओर से।
2. श्री प्राणसुख सैनी एवं श्री विजय कुमार चौहान प्रतिवादीगण की ओर से।

–::पर्चा डिक्री:–

वाद वादी बावत तकासमा आराजी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट डिक्री किया जाता है कि पक्षकारान के नाम के समुंख अंकित आराजी वाके ग्राम डाबडवास तह.मांढण उनके कब्जे काश्त खातेदारी मे निम्नानुसार रहेगी :–

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान
1	विल्लू, शुभराम, शीशराम, सुभाष पि0 ओमकार हिस्सा 4/9 जाति चमार सा. डाबडवास, बनवारीलाल पुत्र जयदयाल हिस्सा 2/27, श्रवण देवी पत्नी शेरसिंह हिस्सा 5/27 जाति खटीक सा. नीमराना राहिन बिल्लू पीएनवी गिगलाना, शुभराम वीओवी घीलोठ मुर्तहन	727/1	0.73	वारानी–2	4.10
2	वनवारीलाल पुत्र जयदयाल हिस्सा 10/27 श्रवण देवी पत्नी शेरसिंह हिस्सा 5/27 कौम खटीक सा. नीमराना, विल्लू, शुभराम, शीशराम, सुभाष पि. ओमकार हिस्सा 4/9 जाति चमार सा. देह खातेदार राहिन शुभराम वीओवी घीलोठ	745/1	0.15	वरानी–2	
3	विल्लू, शुभराम, शीशराम, सुभाष पि. ओमकार हिस्सा 4/9 जाति चमार सा. डाबडवास, अशोक कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति चमार सा. देह हिस्सा 10/27, श्रवण देवी पत्नी शेरसिंह हिस्सा 5/27 जाति खटीक सा. नीमराना खातेदार राहिन विल्लू पीएनवी गिगलाना, शुभराम वीओवी घीलोठ	1076/1230 784 785 786 787/1	0.31 0.23 0.27 0.08 0.4440	वंजड चाही–3 जाव'–3 चाही–3 गै0मु0 चाह	 0.18 0.05
		किता 05	1.3340		

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

4	विशम्बर पुत्र ओमकार जाति चमार सा. डाबडवास खातेदार	727/2 745/2 787/2	0.09 0.01 0.1460	वरानी–2 वारानी–2 चाही–3	
		किता 03	0.2460		

उक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर अमलदरामद किए जाने के आदेश दिए जाते है खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगा। पत्रावली फैसलशुमार हो कर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 05-12-24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

महेन्द्र सिंह यादव (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)